सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 108/2018

बउनवान

1– अमरलाल पुत्र श्री देवलाल जाति धाकड निवासी टांची तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ
2– माणकचन्द पुत्र श्री रामगोपाल धाकड निवासी टांची तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ

(अपीलांट)

बनाम

1– बलराम पुत्र ऊंकार राजपूत धाकड निवासी भैरूपुरा तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा प्रकरण संख्याः/रास्ता/न्याय/2018/27–32 मे पारित आदेश दिनांक 29.06.2018 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251

उपस्थित :– 1– श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक **(अपीलांट)**
2– श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 13.3.2019

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई। जिसके संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 के तहत उनके प्रकरण संख्याःरास्ता/न्याय/2018/27–32 मे पारित आदेश दिनांक 29.06.2018 के विरूद्व अपील इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की गई है।

इस पर प्रकरण दिनांक 06.08.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण संख्या 7/2018 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर निर्णय दिनांक 6.8.2018 से स्वीकार किया गया। अप्रार्थी जर्ये अभिभाषक इस न्यायालय मे उपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। जिसके प्राप्त होने पर प्रकरण मे उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा धारा 251 आर0टी0एक्ट के तहत आवेदन पेश किया था। जिसे दिनांक 29.6.2018 को स्वीकार करते हुये आदेश दिया है कि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 328 वाके ग्राम टांची पर आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने का 14 फीट चौडा रास्ता

खसरा नम्बर 335 व 336 के बीच की मेड पर दिया जाता है। इस रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड मे किया जावे, साथि ही अप्रार्थीगण/अपीलांट को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त रास्ते का ना तो स्वंय बन्द करे ना ही अन्य से करावे। जिससे अप्रसन्नता से यह अपील माननीय न्यायालय मे पेश की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 29.6.2018 खिलाफ कानून होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो साक्ष्यो एवं दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन नही करने मे भारी भूल की है।

यह कि अपीलांट/अप्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 335 व 336 मे होकर रास्ता कायम करने का किसी को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। क्योकि वहां होकर कभी कोई रास्ता रहा ही नही है और ना ही राजस्व रिकार्ड मे उक्त आराजीयात के मध्य मे होकर कोई रास्ता कायम था। इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने गोर न करके उक्त निर्णय पारित करने मे भारी भूल की है।

यह कि पटवारी हल्का टांचा तहसील छीपाबडौद की मौका रिपोर्ट दिनांक 20.11.2017 व ग्रावासियान की साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि अपीलार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 335 व 336 के मध्य मे होकर कोई रास्ता कभी भी नही रहा है। इन सभी तथ्यो को अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अन्दाज करते हुये उकत निर्णय/आदेश पारित करने मे भारी भूल की है तथा अपीलार्थीगण के साथ भारी अन्याय किया है।

प्रार्थी/रेस्पो0 अपीलार्थीगण की आराजी मे होकर जबरन दादागिरी के बल पर रास्ता बनाकर निकालना चाहता है जिसका रेस्पो/प्रार्थी को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने गोर न करके उक्त आदेश पारित करने मे भारी भूल की है।

यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी/अपीलार्थीगण के विरूद्व उक्त आदेश दिनांक 29.6.2018 पारित कर देने से रेस्पोडेन्ट, अपीलार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 335 व 336 मे मध्य मे होकर रास्ता कायम मे होकर रास्ता कायम करने पर आमादा है। यदि जबरन रास्ता कायम हुआ तो अप्रार्थी/अपीलांट को अनन्य मुकदमे बाजी मे उलझना पडेगा एवं अपार क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप मे सम्भव नही हो सकेगी। अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.6.2018 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 मे प्रकरण संख्याः रास्ता/न्याय/2018/27–32 दिनांक 29.6.2018 मे पारित आदेश/निर्णय विधि अनुरूप पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं

साक्ष्य के आधार पर पूर्ण अवलोकन किया जाकर पारित किया गया है जिसमे किसी भी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही की गई है। चूंकि रेस्पोडेन्ट पूर्वजो के समय से ही उक्त कदमी प्राचीन पुरानी मेड के रास्ते से आते–जाते रहे है ओर कृषि यंत्र आदि भी उसी रास्ते से लाते लेजाते रहे है। वर्तमान मे अपीलांट ने प्राचीन रास्ते को खसरा नम्बर 335 व 336 के बीच की चौडी मेड को हांक कर अवरूद्व कर दिया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा रेस्पोडेन्ट को ग्राम टांची की जमाबंदी सम्वत् 2070–73 के खाता नं0 41 के खसरा नम्बर 328 खातेदारी कृषि भूमि के इस खेत पर आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने का 14 फीट चौडा रास्ता खसरा नम्बर 335 व 336 के बीच की मेड से खुलासा किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जावे।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 मे प्रकरण संख्याः/रास्ता/न्याय/2018/27–32 मे पारित आदेश दिनांक 29.06.2018 का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया है। जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर अन्तर्गत धारा 251 (क) राज0टी0एक्ट के प्रावधानो के तहत उक्त आदेश पारित किया गया है। जिसका श्रवणाधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर, न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 के तहत उनके प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्याः/न्याय/रास्ता/2018/27–32 मे पारित निर्णय/आदेश दिनांक 29.06.2018 निरस्त किया जाता है ओर आदेशित किया जाता है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के खाते की समस्त भूमि की पैमाईश करवायी जावे। यदि मौके पर शेष भूमि बचती है तो रेस्पोडेन्ट को रास्ते के उपयोग हेतु उपलब्ध करवाई जावे अन्यथा रेस्पोडेन्ट सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है।

निर्णय आज दिनांक 13.3.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर बारां